न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 09/2020 राजस्व अपील

1. लोहडीराम पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी ग्राम कोरडा खुर्द तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.08.2018 न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय प्रकरण उनवानी सरकार बनाम लोहडीराम मु. नं. 103/18 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री महेन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक: 04.03.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में सिवायचक भूमि खसरा नं. 289 रकबा 0.25 है. पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 29.08.2018 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास व पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। उक्त निर्णय की पालना में पुलिस द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 3.4.2019 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जमानत पर रिहा कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त आदेश दिनांक 29.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय खिलाफ कानून नियम, उपनियम व पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट देहाती, अनपढ व कानून कायदो से व मियाद सम्बन्धी जानकारी से अनभिज्ञ है। अपीलान्ट ने किसी भी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
दौसा

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामील भी नहीं होने से अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका ही नहीं मिला जबकि सजा जैसे केस में पीडित पक्ष को पूर्ण रूप से सुनवाई व सबूत का मौका मिलना चाहिए था। पत्रावली पर अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के सबूत न होने के बावजूद भी अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर सजा करने की गलती की गई है। अधीनस्थ न्यायालय नें पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय किया गया है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 29.08.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम लोहडीराम मु. नं. 103/2018 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2075 में ग्राम कोरडा खुर्द तहसील सिकराय में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 289 रकबा 0.25 है. में से 0.15 है. पर बाजरा एवं 0.10 है. पर कब्जा पडत कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 29.08.2018 को बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित करने के साथ ही तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 29.08.2018 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने 2075 में ग्राम कोरडा खुर्द तहसील सिकराय में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 289 रकबा 0.25 है. में से 0.15 है. पर बाजरा एवं 0.10 है. पर कब्जा पडत कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 29.08.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 103/2018 उनवानी सरकार बनाम लोहडीराम में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलेक्टर, दौसा